



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2009/ज्येष्ठ 7, 1931

No. 309]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2009/JYAISTHA 7, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2009

सा.का.नि. 364(अ).— केंद्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 का पंजाब अधिनियम सं. 18) को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

1. पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 में, “पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1965” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

उपाबंध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2005
(2006 का पंजाब अधिनियम सं.18)

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा यह अधिनियमित हो:-

- 1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 है।
- (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) में:-

(i) खंड (ड) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ; और

(ii) खंड (च) में, अंत में आने वाले "," चिन्ह के स्थान पर " ; और" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और उसके पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

" (छ) नियोजकों और कर्मचारियों का अभिदाय ।"

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" 9-क. (1) प्रत्येक कर्मचारी निधि में प्रति मास एक रुपए का अभिदाय करेगा और प्रत्येक नियोजक प्रत्येक ऐसे कर्मचारी की बाबत निधि में दो रुपए प्रति मास का अभिदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण - उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, " कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसका नाम मास के अंतिम कार्य दिवस को किसी स्थापन के रजिस्टर में उल्लिखित किया गया पाया जाता है ।

(2) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली और 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए 15 अक्टूबर से पूर्व और 1 अक्टूबर से आरंभ होने वाली और 31 मार्च तक की अवधि के लिए 15 अप्रैल से पूर्व कल्याण आयुक्त के पक्ष में क्रास चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निधि में अपना अभिदाय और कर्मचारी का अभिदाय दोनों का संदाय करेगा ।

(3) नियोजक कर्मचारी से उसकी मजदूरी से कटौती करके कर्मचारी का अभिदाय वसूल करने के लिए हकदार होगा न कि अन्यथा :

परंतु ऐसी कटौती ऐसे कर्मचारी द्वारा संदेय अभिदाय की रकम से अधिक में नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि भूलवश या किसी अन्य कारण से किसी मास के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी से ऐसी कटौती नहीं की गई है तो ऐसी कटौती कर्मचारी और निरीक्षक को लिखित में सूचित करने के पश्चात् किसी पश्चात्तवर्ती मास में उस कर्मचारी की मजदूरी से की जाएगी :

परंतु यह और भी कि नियोजक के पास निधि में अभिदाय के असंदाय के लिए यह बहाना नहीं होगा कि उसने कर्मचारी के अभिदाय की उसकी मजदूरी से कटौती नहीं की थी ।

[फा. सं. यू-11020/2/2007-यूटीएल]

बी. भामाथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2009

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act 2005 (Punjab Act No. 18 of 2006), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In section 2 of the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2005, after the words and figures " the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 ", the words, " as in force in the Union territory of Chandigarh " shall be inserted.

THE ANNEXURE

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2005 AS
EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH (PUNJAB ACT
NO. 18 OF 2006)THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2005
(PUNJAB ACT NO. 18 OF 2006)

AN

ACT

Further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2005.
(2) It shall come into force at once.
2. In the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, in sub-section (2) :-
 - (i) in clause (e), the word “and” occurring at the end, shall be omitted; and
 - (ii) in clause (f), for sign “ . ” occurring at the end, the sign and word “ ; and” shall be substituted and thereafter, the following clause shall be inserted, namely:-

“(g) contribution of employers and employees.”
3. In the principal Act, after section 9, the following section shall be inserted namely:-

“9-A. (1) Every employee shall contribute one rupee per month to the Fund and every employer shall, in respect of each such employee, contribute two rupees per month to the Fund.

Explanation- For the purpose of sub-section (1), “employee” shall mean an employee whose name finds mention in the register of an establishment on the last working day of the month.

 - (2) Every employer shall pay to the Fund both, his contribution and the contribution of the employee before the

fifteenth day of October, for the period commencing from the 1st day of April to the 30th day of September, and before the fifteenth day of April, for the period commencing from the 1st day of October to the 31st day of March every year, by crossed cheque or demand draft in favour of the Welfare Commissioner.

(3) The employer shall be entitled to recover from the employee, the employee's contribution by deduction from his wages and not otherwise;

Provided that no such deduction shall be made in excess of the amount of the contribution, payable by such employee;

Provided further that if through inadvertence or on account of some other reason, no such deduction has been made from the wages of an employee for any month, such deduction shall be made from the wages of such employee in any subsequent month after intimation in writing to the employee and the Inspector;

Provided further that it shall be no excuse for the employer for non-payment of contribution to the Fund that he had not deducted the contribution of the employee from his wages."

[F. No. U-11020/2/2007-UTL.]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.